शासनादेश संख्याः–   /VIII/680–श्रम/02

प्रेषक,

एस0 राजू,
सचिव, श्रम
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. सभी विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय निगम।
7. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून तथा समस्त अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय, उत्तरांचल।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरांचल।
9. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग   देहरादूनः दिनांक जुलाई, 2006

विषयः– **भवन और अन्य सन्निर्माण इकाइयों/भवन निर्माताओं द्वारा देय रजिस्ट्रीकरण फीस और उपकर (ब्मे) के भुगतान जमा करने विषयक पृथक–पृथक प्रक्रिया।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2405/टप्प्/680–श्रमध02 दिनांक 27 जनवरी, 2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वित्त विभाग द्वारा उक्त संदर्भित प्रकरण पर निम्नलिखित परामर्श दिया गया है कि रू.

ष्प्रश्नगत फीस यदि राजस्व प्राप्ति है, तो उसे श्रम विभाग के अनुदान के विभागीय लेखाशीर्षक 0230.श्रम तथा रोजगार दृ800 अन्य प्राप्तियां .99 अन्य विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत अन्य विविध प्राप्तियों के हैड में जमा किया जा सकता है।ष

अतः वित्त विभाग के उक्त परामर्श को दृष्टिगत रखते हुए मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996** की धारा 7 के अन्तर्गत भवन और अन्य सन्निर्माण इकाइयों/भवन निर्माताओं के द्वारा देय रजिस्ट्रीकरण फीस, जो श्रम विभाग की राजस्व प्राप्ति है, को **उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005** के नियम 33 के अनुसार निम्नलिखित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा की जायेगीः–

'' 0230.श्रम तथा रोजगार दृ800 अन्य प्राप्तियां .99 अन्य विविध प्राप्तियां ''

2. इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि चूंकि भवन और अन्य सन्निर्माण इकाइयों/भवन निर्माताओं द्वारा देय उपकर (ब्मे) श्रम विभाग की राजस्व प्राप्ति नहीं है। अतः उपकर का भुगतान श्रम विभाग के विभागीय लेखाशीर्षक में जमा नहीं किया

जायेगा बल्कि उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव के पक्ष में जमा कर देहरादून में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के रेखांकित मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषित किया जायेगा , जैसा कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 के साथ पठित भवन और अन्य सन्र्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम 4 में प्रावधान किया गया है।

भवदीय,

(एस0 राजू)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः (1)/VIII/680–श्रम/2002 तद्दिनांकितः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
2. उप श्रमायुक्त, हल्द्वानी/देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0 आर0 भटट्)
अपर सचिव।

अनुसचिवध्अपर सचिव महोदय,

निर्माण इकाइयोंध्भवन निर्माताओं द्वारा जीम ठनपसकपदह ंदक वजीमत ब्वदेजतनबजपवद ॅवतामतेश ॅमसंतिम ब्मे ।बजए1996 के अन्तर्गत उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा किये जाने वाले उपकर ;बमेद्ध के भुगतान विषयक प्रक्रिया के विषय में शासनादेश संख्या 2405/ टप्प्/ 680—श्रमध् 02 दिनांक 27 जनवरी, 2006 का कृपया अवलोकन करना चाहें, जिसमें वित्त विभाग द्वारा इस विषय पर निम्नलिखित परामर्श दिया गया है कि रू.

ष्प्रश्नगत फीस यदि राजस्व प्राप्ति है तो उसे श्रम विभाग के अनुदान के विभागीय लेखाशीर्षक 2230.श्रम तथा रोजगार दृ800 अन्य प्राप्तियां .99 अन्य विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत अन्य विविध प्राप्तियों के हैड में जमा किया जा सकता है।ष

अतः वित्त विभाग के उक्त परामर्श को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग द्वारा श्रम विभाग को आवंटित उपयुर्क्त विभागीय लेखाशीर्ष के सम्बन्ध में जीम ठनपसकपदह ंदक व्जीमत ब्वदेजतनबजपवद ॅवतामते;त्महनसंजपवद व ि म्उचसवलउमदज ंदक ब्वदकपजपवदे व ि मतअपबमद्ध ।बजए1996 तथा जीम ठनपसकपदह ंदक वजीमत ब्वदेजतनबजपवद ॅवतामतेश ॅमसंतिम ब्मे ।बजए1996 के अन्तर्गत जमा होने वाली फीस ध् बमे के भुगतान की पृथक.पृथक प्रक्रिया के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागाध्यक्षों एवं जनसामान्य को स्थिति स्पष्ट करनी आवश्यक प्रतीत होती है ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

1. उपयुर्क्त विभागीय लेखाशीर्ष केवल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के सम्बन्ध में ही प्रयोजनीय होगा क्योंकि अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 के नियम 27 से नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भवन और अन्य सन्निर्माण स्थापनों के पंजीयन आदि के सम्बन्ध में देय समस्त फीस को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किए जाने का प्रावधान स्पष्टतः नियम 33 में दिया गया है ।
2. यद्यपि जीम ठनपसकपदह ंदक वजीमत ब्वदेजतनबजपवद ॅवतामतेश ॅमसंतिम ब्मे ।बजए1996 जीम ठनपसकपदह ंदक व्जीमत ब्वदेजतनबजपवद ॅवतामते;त्महनसंजपवद व ि म्उचसवलउमदज ंदक ब्वदकपजपवदे व ि मतअपबमद्ध ।बजए 1996 का पूरक अधिनियम हैं किन्तु भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावलीए 1998 के नियम 3, 4 और 5 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार देय उपकर ;बमेद्ध को उपयुर्क्त विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उपकर ;बमेद्ध फीस नहीं है और नहीं यह राज्य सरकार का राजस्व है। उपकर को जमा करने की प्रक्रिया जीम ठनपसकपदह ंदक वजीमत ब्वदेजतनबजपवद ॅवतामतेश ॅमसंतिम ब्मे ।बजए1996 की धारा 3 के साथ पठित जीम ठनपसकपदह ंदक वजीमत ब्वदेजतनबजपवद ूवतामतेूमसंतिम ब्मे त्नसमेए1998 के नियम 4 में दी गई है कि जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि ब्मे का भुगतान बोर्ड के पक्ष में बतवेमक कमउंदक कतंजि द्वारा जमा किया जायेगा।

यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 के अन्तर्गत हुआ है, जो शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय है और जिसकी अपनी एक पृथक मुद्रा है और जिसके नाम से कोई वाद संस्थित किया जा सकता है अथवा उस पर कोई वाद चलाया जा सकता है। उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2005 के भाग—5, अध्याय 30 में बोर्ड की संरचना, शक्तियां, कर्तव्य एवं कृत्य, प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियां, कल्याण निधि का गठन, बोर्ड की आय के स्रोत,

लेखा आदि के प्रावधान वर्णित हैं, जिसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि बोर्ड के पक्ष में देय धनराशि को किसी विभागीय लेखाशीर्ष में जमा किया जाय।

.........2

अतः शासनादेश संख्या 2405/टप्प्/680—श्रमध02 दिनांक 27 जनवरी, 2006 के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य की सुविधा के लिए निर्माण इकाइयों ध्भवन निर्माताओं द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा किये जाने वाले उपकर ;बमेद्ध के भुगतान विषयक प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। इसी उद्देश्य से सभी सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों को लेखाशीर्ष के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु शासनादेश का आलेख आपके अनुमोदनार्थ इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है, सहमति की दशा में कृपया अनुमोदित करना चाहें।

संलग्न—उक्त।

(जी0 पी0 बहुगुणा)
विशेषकार्याधिकारी/सलाहकार, श्रम,
देहरादून।

नियम 27—फीस :— नियम 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिये संदेय फीस वह होगी जो नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात :—

(1) यदि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिये किसी एक दिन में भवन कर्मकार के रूप में नियोजित किये जाने वाले कर्मकारों की संख्या

(क) 100 तक है : पांच सौ रूपये

(ख) 100 से अधिक किन्तु : एक हजार रूपये

500 से कम है ।

(ग) 500 से अधिक है : दो हजार पांच सौ रूपये

(2) **विलम्ब फीस** : यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नियम 23 उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब उपनियम (1) में उल्लिखित फीस की दर की 25 प्रतिशत की दर से विलम्ब फीस उदगृहीत की जायेगी।

अध्याय 5
अपील, आदेशों की प्रतियां, फीस का संदाय आदि

नियम 28— अपील अधिकारी के समक्ष अपील फाइल करना :—

(1) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में अपील अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी ।

(2) ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरूद्ध अपील की गई है तथा दो सौ रूपये का मांगदेय ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा ।

(3) ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से और पृथक शीर्षकों के अन्तर्गत अपील के आधार उपवर्णित होंगे ।

(4) जहाँ अपील का ज्ञापन उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबंधों की अनुपालना नहीं करता है, तो अपील अधिकारी द्वारा नियत किये गये समय के भीतर जो उस तारीख से तीस दिन से अधिक न हो सुनवाई की तारीख निश्चित कर संशोधन के प्रयोजन से उक्त अपील को अपीलार्थी को वापस करेगा।

(5) जहाँ अपील ज्ञापन व्यवस्थित है वहाँ अपील अधिकारी अपील को ग्रहण करेगा, तथा उस पर ऐसे अपील की सुनवाई की तारीख पृष्ठांकित करेगा और इस प्रयोजन के लिये रखी जाने वाली पुस्तिका में अपील को रजिस्टर करेगा, जिसका नाम अपीलों का रजिस्टर होगा ।

(6) (प) जब उपनियम (5) के अधीन अपील ग्रहण कर ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपील की सूचना उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर मामले से संबंधित अभिलेख अपील अधिकारी को भेजेगा ।

(पप) अभिलेख प्राप्त होने पर अपील अधिकारी, ऐसी तारीख और ऐसे समय पर जो अपील की सुनवाई के लिए सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए अपीलार्थी को सूचना भेजेगा ।

नियम 29— सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने में असफलता :— यदि सुनवाई के लिये नियत तारीख को अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है तो अपील अधिकारी, उपस्थित होने में चूक के लिए अपील को खारिज कर सकेगा ।

नियम 30— अपीलों का प्रत्यावर्तन :— जहाँ कोई अपील, नियम 29 के अधीन खारिज कर दी जाती है, वहाँ अपीलार्थी, अपील के प्रत्यावर्तन के लिए अपील अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उपस्थित

होने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो अपील अधिकारी अपील को उसकी मूल संख्या पर प्रत्यावर्तित करेगा :

परन्तु इस नियम के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन अपील अधिकारी द्वारा ऐसे खारिज किए जाने की तारीख से तीस दिन के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

नियम 31– अपील की सुनवाई :–

(1) यदि अपीलार्थी, उस समय उपस्थित है, जब अपील सुनवाई के लिये ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता को सुनने के लिए अग्रसर होगा और अपील पर उस आदेश की पुष्टि, उलटना अथवा फेर–फार करने संबंधी अपने आदेश पारित करेगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(2) अपील अधिकारी के आदेश अवधारण के लिए बिन्दु, उस पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चयों के लिये कारण कथित होंगे ।

......2

(3) अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया जाएगा और उसकी प्रति उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी ।

नियम 32– रजिस्ट्रीकरण के आदेश या अपील में आदेश की प्रति :– रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के या अपील अधिकारी के आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, प्रत्येक आदेश के लिये एक सौ रुपये की फीस के संदाय के साथ, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी को आवेदन करने पर, जिसमें संबंधित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की तारीख और अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी, प्राप्त की जा सकेगी । रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो जाने या विकृत हो जाने पर प्रमाणपत्र की प्रति वैसी ही फीस के भुगतान पर और उसी रीति से प्राप्त की जा सकेगी ।

नियम 33– फीस का संदाय तथा लेखा शीर्ष :– जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो, इन नियमों के अधीन संदेय सभी फीस स्थानीय कोषागार में विभागीय लेखा–शीर्ष के अन्तर्गत संदत्त की जायेगी परन्तु अधिनियम के अन्तर्गत संदेय सभी फीस का संदाय यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के पक्ष में उत्तरांचल में किसी बैंक पर आहरण योग्य रेखांकित मानदेय ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/बैंकर्स चैक के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा और संबद्ध अधिकारी इस प्रकार संदत्त फीस ऊपर उल्लिखित लेखा शीर्ष में निक्षिप्त करेगा।

संख्या : 2405/टप्प/680–श्रम/02

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादूनः दिनांक 27 जनवरी, 2006

विषयः उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में विभागीय लेखाशीर्षक आबंटित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विशेष कार्याधिकारी/सलाहकार, श्रम उत्तरांचल, देहरादून के पत्र दिनांक 15, दिसम्बर–2005 जिसके द्वारा उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में विभागीय लेखाशीर्षक आबंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण वित्त विभाग को लेखाशीर्षक आबंटित किए जाने हेतु सन्दर्भित किया गया। वित्त विभाग द्वारा प्रकरण पर निम्नवत् परामर्श दियाः–

- प्रश्नगत् फीस यदि राजस्व प्राप्ति है, तो उसे श्रम विभाग के अनुदान के विभागीय लेखाशीर्ष 2230–श्रम तथा रोजगार–800 अन्य प्राप्तियां –99 अन्य विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत अन्य विविध प्राप्तियों के हैड में जमा किया जा सकता है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि कृपया वित्त विभाग द्वारा दिये गये उपरोक्त परामर्श के अनुसार नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– 2405(1)/टप्प/680–श्रम/2005 तद्दिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर श्रमायुक्त, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष कार्याधिकारी, श्रम।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)
अनुसचिव।